

PRASAR BHARATI/ प्रसार भारती
(INDIA'S PUBLIC SERVICE BROADCASTER)/ (भारत का लोक सेवा प्रसारक)
DIRECTORATE GENERAL: DOORDARSHAN/ दूरदर्शन महानिदेशालय
Copernicus Marg, New Delhi / कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली
S-III Section / एस-III अनुभाग

मिसिल स. A-11019/05/2019/S.III

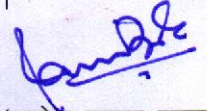
दिनांक :- 20.12.2019

कार्यालय आदेश स. 160 /2019/एस-III

विषय वस्तु पर इस महानिदेशालय के पिछले सभी आदेशों के अधिक्रमण में और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री राजीव सिन्हा, उप महानिदेशक(ई) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, दूरदर्शन केंद्र पटना का कार्यालय प्रमुख घोषित किया जाता है।

2. कार्यालय प्रमुख के रूप में श्री राजीव सिन्हा, उप महानिदेशक (ई) द्वारा वित्तीय शक्तियों का प्रयोग, नियत प्रत्यायोजन के अंतर्गत ही किया जा सकता है। जिन मामलों में वित्तीय शक्तियां कार्यालय प्रमुख के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, मामला संबंधित केंद्र / क्षेत्र के उच्च अधिकारियों को भेजा जा सकता है।

3. यह आदेश अपर महानिदेशक (कार्यक्रम), दूरदर्शन के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(राजेश कुमार गुप्ता)

उप निदेशक प्रशासन

प्रति

1. श्री राजीव सिन्हा, उप महानिदेशक(ई), दूरदर्शन केंद्र पटना
2. अपर महानिदेशक(कार्यक्रम) (पूर्व क्षेत्र)
3. अनुभाग अधिकारी, (P-1) अनुभाग, दूरदर्शन महानिदेशालय
4. दूरदर्शन महानिदेशालय के सभी कर्म अनुभाग

प्रतिलिपि

1. सीईओ, प्रसार भारती मुख्य सतर्कता अधिकारी /, प्रसार भारती सचिवालय के सचिव को।
2. उप निदेशक (कर्मिक), प्रसार भारती सचिवालय, मंडी हाउस, नई दिल्ली।
3. सभी क्षेत्रीय ए डी जी, सभी डी डी जी एवम डी डी ए।
4. सतर्कता अनुभाग / स्थापना अनुभाग /रोकड अनुभाग आरएंडआई / गोपनीय सेल /
5. आईटी सेल को दूरदर्शन की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।
6. संबंधित अधिकारी/यों की व्यक्तिगत मिसिल में।
7. कार्यालय आदेश/आदेश फ़ोल्डर।